राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांकः /2014
प्रस्तुती दिनांकः .02.2014

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैम्प इन्दौर के समक्ष

बुटुसिंह (मृत) द्वारा वारिसान

1. सजन पिता स्व. श्री बुटुसिंह,
   आयुः लगभग 52 वर्ष, व्यवसायः कृषि,
2. केकडिया उर्फ देवीसिंह पिता स्व. श्री बुटुसिंह,
   आयुः लगभग 48 वर्ष, व्यवसायः कृषि,
3. पारू पिता स्व. श्री बुटुसिंह,
   आयुः लगभग 44 वर्ष, व्यवसायः कृषि,

तीनों निवासीः ग्रामः हासलगढ,
तहसीलः कुक्षी, जिलाः धार (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

कुंवरसिंह पिता सुकल्या भील,
निवासीः हासलबड, तहसीलः कुक्षी,
जिलाः धार (म.प्र.)

..... अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर के द्वारा राजस्व द्वितीय अपील प्रकरण कमांक – 123/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.11.2013 के द्वारा आवेदकगण के पिता मृतक बुटुसिंह के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त किया गया, उक्त आदेश के विरूध्द

गुरुसिंह / कुंवरसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 1012—पीबीआर / 14 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21—1—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26—11—2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कुंवरसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है और आवेदकगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर आधिपत्य होने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 कुक्षी द्वारा अपने निर्णय एवं डिकी में आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है और न ही प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी माना है । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई	

है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष